वर्ष : 34 | अंक : 222 | मुंबई, रविवार, 19 अक्टूबर 2025 | RNI: MAHHIN/49994/91 | मूल्य : 3 रुपए | epaper.dobajedopahar.com | संपादक : अरुण लाल | संरक्षक : एन. के. पुरोहित

'पति पत्नी और वो दो' की रिलीज डेट हुई फाइनल

पेज 7 देखें

DBD
दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

गिल की कप्तानी में रोहित-कोहली पर रहेगी निगाह

पेज 7 देखें

किसानों को दिवाली का तोहफा

- आपदा प्रभावित किसानों के लिए 3,258 करोड़ मंजूर
- 23 जिलों के 33 लाख किसानों को मिलेगी मदद

अमित बृज | मुंबई

प्रदेश सरकार ने सितंबर 2025 में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए 3,258 करोड़ 56 लाख 47 हजार रुपए वितरित करने की मंजूरी दी है। इस सहायता से आपदा प्रभावित पांच संभागों के 23 जिलों में कुल 33,65,544 किसानों को राहत मिलेगी। इसमें ठाणे, पालघर, पुणे, नागपुर, अकोला, अमरावती, नाशिक, धुलिया, नंदूरबार, अहिल्यानगर और अन्य जिले शामिल हैं। शनिवार को राज्य के राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने कहा कि राहत और पुनर्वास विभाग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है।

खरीफ सीजन के नुकसान की भरपाई

मंत्री जाधव-पाटिल ने कहा कि पिछले सात दिनों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस वर्ष के खरीफ सीजन में हुए नुकसान के लिए अब तक लगभग 7,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। उनका कहना है कि यह निर्णय प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देगा और उनकी दिवाली सुखद बनाने में मदद करेगा।

डीबीटी पोर्टल के जरिए सीधे बैंक खातों में राहत राशि

आर्थिक मदद आपदा प्रभावित किसानों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इससे किसानों को तत्काल राहत मिल सकेगी और फसल नुकसान का प्रभाव कम होगा। सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राहत राशि का उपयोग केवल प्रभावित किसानों तक पहुंचाने के लिए किया जाए। यह सुनिश्चित करना होगा कि निधि बैंक कर्ज खाते या अन्य बकाया वसूली में ट्रांसफर न हो। राहत राशि वितरण के बाद लाभार्थियों की सूची संबंधित जिले की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

नागपुर संभाग में राहत राशि का विवरण

नागपुर संभाग में 3,76,968 किसानों की 3,44,629 .34 हेक्टेयर प्रभावित भूमि के लिए कुल 340 करोड़ 90 लाख 8 हजार रुपए की राहत राशि आवंटित की गई है। जिलावार विवरण के अनुसार, नागपुर में 1,02,850 किसानों के 85,641 .88 हेक्टेयर के लिए 112 करोड़ 37 लाख रुपए, चंद्रपुर में 93,895 किसानों के 81,726 .80 हेक्टेयर के लिए 69 करोड़ 46 लाख रुपए, वर्धा में 1,49,546 किसानों के 1,67,476 .96 हेक्टेयर के लिए 142 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि वितरित की जाएगी।

अन्य क्षेत्रों की स्थिति

कोंकण क्षेत्र में 1,05,239 किसानों की 29,233.16 हेक्टेयर प्रभावित भूमि के लिए 28 करोड़ 10 लाख रुपए और ठाणे, पालघर, रायगढ़ तथा रत्नागिरी जिलों के लिए क्रमशः 8.37, 14.42, 5.09 और 0.13 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

अमरावती और पुणे संभागों में मदद

अमरावती संभाग में 4,78,909 किसानों की 5,26,381.36 हेक्टेयर प्रभावित भूमि के लिए कुल 463 करोड़ 8 लाख 30 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसमें अकोला के 2,09,454 किसानों के 1,72,875 .19 हेक्टेयर के लिए 162 करोड़ 95 लाख रुपए, अमरावती के 48,071 किसानों के लिए 38 करोड़ 4 लाख रुपए और यवतमाल के 2,21,384 किसानों के 3,07,623 .43 हेक्टेयर के लिए 262 करोड़ 8 लाख रुपए शामिल हैं। वहीं पुणे संभाग में 8,25,189 किसानों की 7,09,209 .15 हेक्टेयर प्रभावित भूमि के लिए 951 करोड़ 63 लाख रुपए की निधि आवंटित की गई है, जिसमें सातारा के 3,388 किसानों के 1,562 .67 हेक्टेयर के लिए 2 करोड़ 49 लाख रुपए, सोलापुर के 6,78,592 किसानों के 5,38,889 .54 हेक्टेयर के लिए 772 करोड़ 36 लाख रुपए, पुणे के 52,789 किसानों के 21,951 .94 हेक्टेयर के लिए 34 करोड़ 42 लाख रुपए और सांगली के 90,420 किसानों के 1,46,805 हेक्टेयर के लिए 142 करोड़ 35 लाख रुपए वितरित किए जाएंगे।

नासिक और कोंकण क्षेत्रों में राहत

नासिक संभाग में 15,79,239 किसानों की 11,50,301 .76 हेक्टेयर प्रभावित भूमि के लिए कुल 1,474 करोड़ 84 लाख रुपए की राहत राशि आवंटित की गई है, जिसमें नासिक के 4,09,474 किसानों के 2,88,806 हेक्टेयर के लिए 317 करोड़ 15 लाख रुपए, धुले के 16,357 किसानों के 11,594 .19 हेक्टेयर के लिए 10 करोड़ 22 लाख रुपए, नंदुरबार के 931 किसानों के 445 .06 हेक्टेयर के लिए 53 लाख 99 हजार रुपए, जलगांव के 3,25,359 किसानों के 2,47,262 .01 हेक्टेयर के लिए 299 करोड़ 94 लाख रुपए और अहिल्यानगर के 8,27,118 किसानों के 6,02,194 .50 हेक्टेयर के लिए 846 करोड़ 96 लाख रुपए शामिल हैं।

मुश्किल में सौनिक

- महाराष्ट्र की पूर्व मुख्य सचिव सुजाता सौनिक के खिलाफ जमानती वारंट

26 नवंबर को पेश होने का आदेश

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की पूर्व मुख्य सचिव सुजाता सौनिक के खिलाफ अदालती आदेशों का पालन न करने के मामले में शनिवार को 25,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ दायर दो अवमानना याचिकाओं के सिलसिले में की गई, जिनमें सौनिक द्वारा अदालत के आदेश की अवहेलना करने और नोटिस लेने से इनकार करने का आरोप था।

माफीनामा और देरी का विवाद

मामले की सुनवाई के दौरान सौनिक ने एक कनिष्ठ अधिकारी से माफीनामा प्रस्तुत करने को कहा था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इसे न्यायपालिका की अनदेखी करने का प्रयास माना। यह माफीनामा सौनिक की सेवानिवृत्ति के बाद भेजा गया था। अदालत ने इस देरी की जांच के लिए रजिस्ट्रार को नियुक्त किया और जांच में जिम्मेदार अधिकारी आदित्य पी. सतघरे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति दी। इन घटनाक्रमों के बीच, अदालत ने स्पष्ट किया कि सुजाता सौनिक को 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा।

अदालत ने जताई नाराजगी

मुंबई उच्च न्यायालय की पीठ, जिसमें जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और जस्टिस अश्विन डी. भोबे शामिल थे, ने सौनिक को 26 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सौनिक का व्यवहार न्यायिक शक्तियों की अवहेलना और अहंकार दिखाने वाला था। उन्होंने विशेष रूप से नोटिस लेने से इनकार करने और नोटिस चिपकाने गए मकान मालिक के काम में बाधा डालने पर नाराजगी जताई। राम अर्जुनराव शेटे और अनिल वसंतराव पलांडे सहित कुछ शिक्षकों ने 2022 में सौनिक के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। यह याचिका सरकार के फैसले को लागू न करने के लिए थी, जिसमें पुरस्कार विजेता शिक्षकों को दोगुना वेतन वृद्धि देने का आदेश था। सौनिक ने 27 नवंबर, 2020 के लिखित अदालती आदेश का पालन नहीं किया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।

कोई भी राजनीतिक दल मतदाता सूची में बदलाव नहीं कर सकता : महाराष्ट्र चुनाव आयोग

मुंबई। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि कोई भी राजनीतिक दल मतदाता सूची से छेड़छाड़ नहीं कर सकता और मतदाता सूचियों में सुधार तथा अद्यतन का कार्य सुरक्षित तरीके से किया जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में जारी किया है जब शिवसेना (उबाठा), कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) सहित विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि विभिन्न पतों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में नकली नाम हैं।

खबर संक्षेप

समीर वानखडे मामले में हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार

नई दिल्ली/मुंबई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखडे को राहत देते हुए सरकार पर 20 हजार रुपए का दंड लगाया और समीर वानखडे के पदोन्नति के संबंधित याचिका में एक महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाकर रखने के लिए केंद्र सरकार को कडी फटकार भी लगाई। केंद्र सरकार ने वानखडे की पदोन्नति के बारे में 28 अगस्त की पुनर्विचार याचिका में मांग की थी।

डीपफेक वीडियो से शेयर मार्केट स्कैम

मुंबई। मुंबई साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो बिजनेस न्यूज़ चैनलों के मशहूर शेयर एक्सपर्ट और एंकर के डीपफेक वीडियो बनाकर लोगों को फर्जी निवेश में फंसा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे Facebook और Instagram पर डीपफेक वीडियो बनाकर शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर विज्ञापन (Ads) चलाए, जिनमें असली एक्सपर्ट की शक्ल और आवाज़ का गलत इस्तेमाल किया गया था। इन वीडियो के ज़रिए आम लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि वे किसी बड़े शेयर मार्केट गुरु के साथ निवेश कर रहे हैं, जबकि हकीकत में यह एक सुनियोजित साइबर फ्रॉड था।

रेलवे का 'फेक न्यूज' पर बड़ा एक्शन

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में यात्रियों के बीच भ्रम और असंतोष फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे से जुड़े पुराने या भ्रामक वीडियो साझा कर रहे ऐसे हैंडल्स पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी है कि अब तक 20 से अधिक ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान कर ली गई है, जिनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक रेलवे नोटिफिकेशन और रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स - X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब (@RailMinIndia) पर ही भरोसा करें।

फोर्ट में 33 करोड़ की लागत से बनेगा जिमखाना

धीरज सिंह | मुंबई

दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में 33 करोड़ रुपये की लागत से नया जिमखाना बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए बीएमसी प्रशासन ने टेंडर जारी कर दिया है। परियोजना इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल के तहत शुरू की जाएगी, जिसमें एक ही ठेकेदार योजना, निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा।

सार्वजनिक जिमखाने की आवश्यकता

मुंबई में बॉम्बे जिमखाना, हिंदू जिमखाना और पारसी जिमखाना जैसे कई जिमखाने मौजूद हैं, लेकिन इनमें सदस्यता सीमित और फीस अधिक होने के कारण आम नागरिक इनसे लाभ नहीं ले पाते। फोर्ट क्षेत्र में यह पहला सार्वजनिक जिमखाना होगा, जो सभी के लिए खुला रहेगा।

आधुनिक संरचना और सुविधाएं

इमारत पांच मंजिला होगी और शीर्ष पर कांच का गुंबद तथा व्यूइंग डेक बनाया जाएगा, जहां से फोर्ट और आज़ाद मैदान क्षेत्र का 180-डिग्री दृश्य देखा जा सकेगा। इमारत में कैफेटेरिया, सामुदायिक हॉल, पर्याप्त पार्किंग और मनोरंजन सुविधाओं जैसे इनडोर जिम और स्विमिंग पूल का भी विकास किया जाएगा।

संग्रहालय और सांस्कृतिक पहल

मनपा अधिकारियों ने बताया कि जिमखाना की एक मंजिल पर संग्रहालय स्थापित करने की योजना है। इस संग्रहालय में मुंबई के इतिहास और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यह पहल नागरिकों के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक अनुभव भी प्रदान करेगी।

नवंबर में हो सकता है विधानमंडल का शीतकालीन सत्र

केवल एक सप्ताह में पूरा होगा अधिवेशन

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

राज्य सरकार का शीतकालीन सत्र इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। पहले यह सत्र 8 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने वाला था, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दिसंबर में आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना के कारण तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। हर साल राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र नागपुर में आयोजित किया जाता है, ताकि विदर्भ और मराठवाड़ा के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस वर्ष भी सरकार ने पहले

सत्र में चर्चा के प्रमुख मुद्दे

शीतकालीन सत्र में किसानों को भारी बारिश से हुए नुकसान और उन्हें राहत देने के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा, अगले पांच महीनों में किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए अनुपूरक मांगों की मंजूरी भी सत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। अनुपूरक मांगें सदन में प्रस्तुत की जाएंगी और उसी दौरान उनकी मंजूरी भी ली जाएगी। विधानमंडल के सूत्रों ने कहा है कि इस बार का शीतकालीन सत्र पूरी अवधि का नहीं होगा और केवल एक सप्ताह का हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए तत्काल मरम्मत और धन की आवश्यकता की जानकारी जुटाएँ, ताकि अनुपूरक मांगों को समय पर प्रस्तुत किया जा सके।

मिलावटखोरों पर एफडीए का शिकंजा

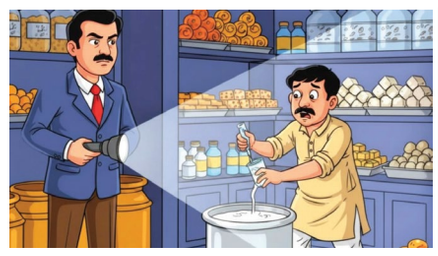

1 करोड़ 97 लाख 93 हजार 42 रुपये का मिलावटी सामान जब्त

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र में दिवाली के अवसर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने विशेष निरीक्षण अभियान चलाकर 1 करोड़ 97 लाख 93 हजार 42 रुपये मूल्य का मिलावटी सामान जब्त किया है। इस अभियान के दौरान राज्य भर के 353 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और 196 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस दिए गए।

जब्त किए गए खाद्य पदार्थ

जांच में पाए गए मिलावटी उत्पादों में खावा, मीठा मावा, गाय का घी, खाद्य तेल, दूध, पनीर, मक्खन, वनस्पति घी, भगवार आदि शामिल हैं। एफडीए के संयुक्त आयुक्त सुरेश अन्नापुरे ने बताया कि मंत्री नरहरि जिरवल के निर्देश पर त्योहारों, विशेषकर दीपावली के दौरान, मिलावट को रोकने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया।

खाद्य नमूनों का विश्लेषण

अभियान के दौरान अब तक 654 खाद्य नमूने प्रयोगशाला भेजे गए। उनमें से 216 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 190 नमूने प्रमाणित गुणवत्ता के, 5 कम गुणवत्ता वाले, 8 नकली और 13 असुरक्षित पाए गए। दोषी नमूनों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

सुरक्षा और सावधानी की अहमियत

सुरेश अन्नापुरे ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थ नागरिकों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थ खरीदते समय निर्माता का नाम, उत्पादन तिथि, एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या और उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 'त्योहार सुरक्षा' का असली संकल्प उपभोक्ताओं का शुद्धता के प्रति जागरूक होना है।

शिकायत करने का तरीका

एफडीए ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि त्योहारी सीजन में उन्हें किसी खाद्य उत्पाद में मिलावट का संदेह हो, तो वे टोल फ्री नंबर 1800 22 2365 पर संपर्क करें या नजदीकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। इस अभियान ने राज्य में खाद्य सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

सेहत | अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड बन रहे हैं नये जमाने का धीमा जहर

बर्गर, नूडल्स, चिप्स धूम्रपान की तरह घातक

एजेंसी | वॉशिंगटन

आज की व्यस्त जीवनशैली में पैक्ड स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स और बर्गर जैसे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड हमारी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी (FAU) के नए अध्ययन ने चेतावनी दी है कि ये खाद्य पदार्थ धीरे-धीरे धूम्रपान जितने ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये फूड शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, जिससे हृदय रोग, कैंसर और मानसिक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने इसे "फूड इंडस्ट्री का तंबाकू संकट" बताया है।

क्या हैं अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड?

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड वे पदार्थ हैं जिन्हें लंबे समय तक टिकाऊ, स्वादिष्ट और दिखने में आकर्षक बनाए रखने के लिए कृत्रिम रंग, फ्लेवर, एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। इनमें पोषण बहुत कम और नमक, चीनी व अस्वस्थ वसा की मात्रा अत्यधिक होती है। इनमें सॉफ्ट ड्रिंक्स, बर्गर, बिस्किट, सॉसेज, पैकेट वाले स्नैक्स, प्रोसेस्ड मीट और पैकेज्ड जूस शामिल हैं, जो सुविधाजनक होने के बावजूद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

अमेरिका में बढ़ती खपत, बढ़ता खतरा

अमेरिका में किए गए एक सर्वे के अनुसार, वयस्कों के भोजन का लगभग 60% और बच्चों के भोजन का 70% हिस्सा अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से आता है। फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के अध्ययन में 9,254 वयस्कों के खानपान का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि जिन लोगों की कुल कैलोरी का 60 से 79% हिस्सा ऐसे फूड से आता है, उनके शरीर में हाई-सेंसिटिव सी-रिएक्टिव प्रोटीन (hs-CRP) का स्तर सबसे अधिक पाया गया। यह प्रोटीन शरीर में सूजन का मुख्य संकेतक है।

कैंसर और मानसिक रोगों से संबंध

अध्ययन में पाया गया कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का अत्यधिक सेवन न केवल हृदय रोगों से जुड़ा है, बल्कि कैंसर और मानसिक बीमारियों से भी इसका गहरा संबंध है। अमेरिका में युवाओं के बीच कोलोरेक्टल (आंत के) कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो इन फूड्स की बढ़ती खपत से जुड़ी हो सकती है। साथ ही, इनसे डिप्रेशन, एंग्जायटी और अन्य मानसिक विकारों का खतरा भी बढ़ जाता है।